

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील सं0 08/2021-22

शंभुनाथ कापरी.....अपीलकर्ता।

बनाम

संजय कापरी.....उत्तरकारी।

आदेश

07.01.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0-54/2019-20 में पारित आदेश दिनांक-05.08.2021 के विरुद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया तर्क निम्न प्रकार है :-

1. अपीलकर्ता पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र है।
2. अपीलकर्ता एवं उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में चन्दूवथान पंचायत में अंकित है जिनका क्रमांक 322 एवं 319 है।
3. उनका पैतृक मकान एवं सम्पति मौजा तमड़ा में ही है तथा वह वहीं अधिकतर समय खेती का देखभाल के लिए रहता है।
4. उत्तरकारी भी दुमका में रहता है। उनका आधार कार्ड में भी दुमका न्यू बाबुपाड़ा का पता है।
5. अपीलकर्ता सरकारी सेवा में नहीं है। मात्र वकालती करता है। और अपना गाँव तमड़ा में रहता है।
6. अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा के 16 आना रैयत अपीलकर्ता को प्रधान के रूप में चाहते हैं।

किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के छोटे भाई को संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।



उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क :-

1. उत्तरकारी मौजा तमड़ा में रहता है एवं उन्हें 16 आना रैयतों का समर्थन प्राप्त है।
2. अपीलकर्ता दुमका में रहता है एवं वकालती करता है। जो संताल परगना कारतकारी (पूरक) रूल्स 1950 के शिड्डल V के अनुकूल नहीं है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है।

अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आदेश :-

अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा पत्रांक-488/रा0 दिनांक-27.06.2020 एवं पत्रांक-348/रा0 दिनांक-13.04.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंचल अधिकारी, सरैयाहाट द्वारा पत्रांक-488/रा0 दिनांक-26.06.2020 में अपीलकर्ता को मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त करने का अनुशंसा किया गया है किन्तु पत्रांक-348/रा0 दिनांक-13.04.2021 में उनके द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, कि शंभुनाथ कापरी (अपीलकर्ता) विगत कई वर्षों से दुमका में निवास करता है एवं वकालती का पेशा करता है। अपीलकर्ता एवं उत्तरकारी दोनो सगे भाई हैं।

अपीलकर्ता का नाम दिनांक-23.01.2021 में अंतिम प्रकाशन के EPIC No KKD2698668 में दुमका विधानसभा में अंकित रहने तथा 16 आना रैयतों द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में उत्तरकारी को ग्राम प्रधान बनाने का अनुरोध के आधार पर उन्हें प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-6 के अन्तर्गत प्रधानी मौजा में उत्तराधिकारी के आधार पर प्रधान नियुक्त करने का प्रावधान है जो निम्न प्रकार उद्धृत है :-

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. - When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

Santhal Parganas Tenancy (Supplementary) rules, 1950 के सिड्डल V में प्रधान के निवास के संबंध में निम्न प्रकार उद्धृत है:

The headman must be resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

Black Law Dictionary में निवासी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। :-

Residence means Bodily presence as an inhabitants in a given place.

1998 (1) PLJR 43 : 1998 (1) ALL PLR 277 (Pat) बाबुलाल हेम्ब्रम बनाम बिहार सरकार में पारित आदेश में निम्न प्रकार उद्धृत है :-

From a perusal of the headman's duties it is self-evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on Government postings and came to the village only intermittently. The headman has, in fact, a long list of duties which can be duty discharged only by a person living the concerned village. Thus, the results of his appointment would be that he would be enjoying the social status and prestige and he and his family members would be deriving the many benefits attached to that office but he would not be discharging most of the duties of the headman. In the light of the above discussion, the Court was of the considered view that only a person regularly residing in the village can be considered to be suitable candidate for the office of the headman.

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा तमड़ा अंचल सरैयाहाट एक प्रधानी मौजा है। स्व० इन्द्रभूषण कापरी उक्त मौजा के अंतिम प्रधान थे। जिनकी मृत्यु दिनांक-03.10.2019 को हो चुकी हैं। अपीलकर्ता पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र है। तथा उत्तरकारी पूर्व प्रधान के कनिष्ठ पुत्र है।

N

दोनो के द्वारा संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा-6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलकर्ता दुमका में रहते है एवं वकालती करते है। यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा मौजा तमड़ा के पते पर आधार कार्ड एवं वोटर लिस्ट की प्रति दाखिल किया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा भी उत्तरकारी को न्यू बाबुपाड़ा के पते पर निर्गत आधार कार्ड की छायाप्रति भी दाखिल किया गया है।

आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड के आधार पर यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि उभय पक्ष कहाँ निवास कर रहे है, किन्तु यह निश्चित है कि अपीलकर्ता दुमका न्यायालय में वकालती करते है। वकालती एक महत्वपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण कार्य है। साथ ही कार्यों में नियमितताएँ भी अनिवार्य है।


वर्तमान समय में मौजा का प्रधानी कार्य भी महत्वपूर्ण एवं दायित्व पूर्ण है। पट्टा एवं काबुलियत के शर्तों के अनुसार कार्यों का सम्पादन एवं निष्पादन किया जाना, मौजा के सम्पत्ति का रक्षा करना, गाँवों के विकास में सरकारी योजनाओं के कार्यों में सहयोग करना, ग्रामीणों के बीच सौहार्दपूर्ण वतावरण बनाना आदि। इन सब कार्यों के लिए प्रधान को ग्रामीणों के बीच नियमित रूप से रहना आवश्यक है।


इस संदर्भ में 1998 (1) PLJR 43 : 1998 (1) ALL PLR 277 (Pat) बाबुलाल हेम्ब्रम बनाम बिहार सरकार में आदेश पारित है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति सही प्रतीत होता है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को वरकरार रखते हुए अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
दुमका।


उपायुक्त,
दुमका।

40/2021-23/2/22